विधान परिषद तृतीय सत्र, 2024 के प्रथम सोमवार हेतु निर्धारित श्री हंसराज विश्वकर्मा, मा0 सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-10 का उत्तर।

प्रश्न	उत्तर
10(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि विद्‌युत हाइटेन्शन लाइन से कितनी दूरी/कितनी नजदीक पर नगर विकास द्वारा निर्माण कार्य अनुमन्य है ?	लखनऊ विकास प्राधिकरण में प्रभावी भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के अध्याय-3.11 ''भवन निर्माण हेतु अन्य अनिवार्यताएं व अपेक्षाएं'' के प्रस्तर-3.11.4 '' इलेक्ट्रिक लाईन से दूरी'' के अन्तर्गत निम्नवत् प्राविधान है :- इण्डियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स के अनुसार भवन के निर्माण/पुर्ननिर्माण की अनुज्ञा हेतु न्यूनतम् दूरी :- **(1)** लो एण्ड मीडिएम वोल्टेज लाइन तथा सर्विस लाइन पर उर्ध्वाधर 2.5 मीटर तथा क्षैतिज 1.2 मीटर होने पर दी जाएगी। **(2)** हाई वोल्टेज लाइन्स यथा 33000 वोल्टेज होन पर उर्ध्वाधर 3.7 मीटर तथा क्षैतिज 2.0 मीटर होने पर दी जाएगी। **(3)** 33000 वोल्टेज पर ऊपर अतिरिक्त हाई वोल्टेज लाईन से उर्ध्वाधर 3.7 मीटर के प्रत्येक अतिरिक्त 33000 वोल्टेज या उसके भा के लिए 0.**3** मीटर तथा क्षैतिज से 2.0 मीटर के प्रत्येक अतिरिक्त 33000 वोल्टेज या उसके भाग के लिए 0.3 मीटर अनुमन्य होगी।
(ख) लखनऊ-सुल्तानपुर राजमार्ग पर वरदान हास्पिटल से सब्जी मण्डी तक कौन-कौन से निर्माण स्थल उपरोक्त मानक को प्रभावित करते है ?	लखनऊ-सुल्तानपुर राजमार्ग पर वरदान हॉस्पिटल से सब्जी मण्डी तक हाईटेशन लाईन से प्रभावित होने वाले 68 निर्माण विद्यमान हैं।
(ग) उपरोक्त के संबंध में कब तक और क्या कार्यवाही की जायेगी ?	उपर्युक्त संदर्भित स्थल पर किये गये निर्माण कार्य के संबंध में उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा कार्यवाही प्रस्तावित है।
(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?	प्रश्न नहीं उठता।

योगी आदित्यनाथ
मुख्य मंत्री